रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L.-(N) 04/0007/2003—05

10178

Lynda 6/5/2019

APPELLATE TRIBUNAL

1554

6/5/19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2019, शनिवार/चैत्र 24—चैत्र 30, 1941

No. 16] NEW DELHI, APRIL 14—APRIL 20, 2019, SATURDAY/CHAITRA 24 — CHAITRA—30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 93.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता (अवर श्रेणी लिपिक) (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	09* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपये) में स्तर- 2	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता और	(i) आयु: नहीं; (ii) शैक्षिक अर्हताएं: हां;	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10% रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के (18000 – 56900 रु) स्तर 1 में समूह 'ग' कर्मचारीवृंद्ध में से भरी जाएंगी जिनके पास 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group–'B' Departmental Confirmation Committee, consisting of :** (1) Director, Anthropological Survey of India – Chairman; (2) Under Secretary to the Government of India, Ministry of Culture, New Delhi dealing with Anthropological Survey of India – Member; (3) Senior Administrative Officer, Anthropological Survey of India, Kolkata –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 6-15/2015-A&A]
S. C. MONDAL, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 16 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आय-कर अपील अधिकरण (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1984 अधिक्रांत करते हुए जहां तक उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित है, आय-कर अपील अधिकरण में उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपील अधिकरण, लिपिकीय समूह ग पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना .—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **तैनाती.**—यथास्थिति उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे ।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।P

7. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	122* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	(i) अनुपयुक्त में अस्वीकार्य के अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा पिछत्तर प्रतिशत। (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति: ऐसा निम्न श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी मे आठ वर्ष नियमित सेवा की है। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति: ऐसी निम्न श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की हों	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** 1.उपाध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण, मुम्बई – अध्यक्ष 2. आय-कर अपील अधिकरण, मुम्बई का एक सदस्य - सदस्य 3. रजिस्ट्रार, आय-कर अपील अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निम्न श्रेणी लिपिक	188* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 4 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)न कि व अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार दीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्दों की टंकण गति या कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रति मिनट 35 शब्दों की टंकण गति।	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पिचासी प्रतिशत। (ii) स्तर 1 (18000-56900 रु.) में समूह ग कर्मचारिवृंद में से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर दस प्रतिशत रिक्तियां भरी जाएगी और जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष के लिए है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)। (iii) बहुकार्य कर्मचारिवृंद से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पांच प्रतिशत रिक्तियां भरी जाएगी जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से भिन्न ऐसे कर्मचारी से अधिक संख्या में परीक्षा में अर्हित होते हैं, ऐसी अधिक संख्या में कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्वत्र परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों, को उस बाद वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं से पहले विचार किया जा सके।

(11)	(12)	(13)
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बहुकार्य कर्मचारिवृंद के कर्मचारियों में से प्रोन्नति:- (क) बहुकार्य कर्मचारिवृंद के ऐसे कर्मचारी परिसीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अर्थात मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, अपेक्षा पूरी की हो। (ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी । (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)। (ग) बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा आवश्यक होगी। (घ) इस पद्धति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम संख्या किसी वर्ष होने वाली निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में हुई रिक्तियों के दस प्रतिशत तक सीमित होगी और न भरी हुई रिक्तियों को अगले वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जाएगा।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** 1.उपाध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण, मुम्बई - अध्यक्ष 2. आय-कर अपील अधिकरण, मुम्बई का एक सदस्य - सदस्य 3. रजिस्ट्रार, आय-कर अपील अधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2019-प्रशा.-III (एलए)]

सुनील सचदेवा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th April, 2019

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Income-tax Appellate Tribunal (Group C Posts) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Income-tax Appellate Tribunal, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal, Clerical Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rule.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Posting.— The persons appointed to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk as the case may be, shall be liable to serve anywhere in India.

6. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointed to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, Economically Weaker Sections, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	122* (2019) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (₹25,500- 81,100/-)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment -whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	No	(i) Seventy-five per cent. by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit; (ii) twenty-five per cent. by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion/ deputation/Absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion on the basis of seniority: Lower Division Clerks with eight years regular service in the grade. Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. Lower Division Clerks with five years regular service in the grade.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :--** 1. Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai –Chairman; 2. One Member of the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai – Member; 3. Registrar, Income- tax Appellate Tribunal –Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk	188* (2019) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (₹19,900 – 63,200/-)	Non-selection	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.	Age : No Educational Qualification: Yes	Two years for direct recruits	(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) Ten per cent. of the vacancies shall be filled on the basis of Departmental qualifying examination from amongst the Group 'C' Staff (Multi-Tasking Staff) in level-1 (₹18,000 – 56,900/-) and who possesses 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years regular service in the grade. **Note:** The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Scheduled Castes /Scheduled Tribes. (iii) Five per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Multi-Tasking Staff who possesses 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years regular service in the grade. **Note:** If more of such employees other than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst Multi-Tasking Staff employees subject to the following conditions:- (a) Selection shall be made through Departmental examination confined to such Multi-Tasking Staff employees who fulfill the requirement of minimum educational qualification, namely 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (b) The maximum age for this examination shall be 45 years (50 years in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates). (c) At least three years regular service in Multi-Tasking Staff post shall be essential. (d) The maximum number of appointments by this method shall be limited to ten percent of vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year; unfilled vacancies shall not be carried over to the next years.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: -** 1.Vice-President, Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai – Chairman; 2.One Member of the Income-tax Appellate Tribunal, Mumbai – Member; 3. Registrar, Income-tax Appellate Tribunal - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2019-Admn. III (LA)]

SUNEEL SACHDEVA, Dy. Secy.

Copy forwarded to :

1. The Registrar, ITAT , Mumbai Benches, Mumbai.
2. The Deputy/Assistant Registrar, ITAT, Mumbai / Delhi / Kolkata / Chennai / Ahmedabad / Chandigarh / Amritsar / Agra / Allahabad / Raipur / Bangalore / Cochin / Cuttack / Guwahati / Hyderabad / Indore / Jabalpur / Jaipur / Jodhpur / Lucknow / Nagpur / Patna / Pune / Panaji / Ranchi / Rajkot / Surat and Visakhapatnam Bench (es)
3. Computer Section.
4. Hindi Section.

ASSISTANT REGISTRAR

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.28 14:10:29 +05'30'